(b) The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Bill, 1996.

(c) The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 1996.

3. General Discussion on the General Budget for 1996-97

4. Consideration and return/passing of the following Bills as passed by Lok Sabha:—

(a) The Appropriation (No. 2) Bill, 1996.

(b) The Appropriation (Vote on Account) No. 2 Bill, 1996.

(c) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1996.

(d) The Representation of the people (Second Amendment) Bill, 1996.

Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Employees provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Ordinance, 1996 and consideration and passing of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 1993.

6. Discussion on the Statutory Resolutions seeking disapproval of the following Ordinances and consideration and passing/return of the Bills replacing these Ordinances as passed by Lok Sabha:—

(a) The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions (Amendment) Oridnance, 1996.

(b) The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Orinance, 1996.

(c) The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Ordinance, 1996.

(d) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Ordinance, 1996.

The Indecent representation of women (Prohibition) Amendment Bill, 1995-(Contd.)

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल (गुजरात): सर, हमारी सदस्या कुमारी सरोज खापर्डे द्वारा जो बिल लाया गया है मैं उसको सपोर्ट करती हूं और उनको धन्यवाद देती हूं कि वह एक अच्छा बिल संसद में लाई है। सर, भारत में 1959 में दिल्ली में सबसे पहले आकाशवाणी भवन में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की गई थी। तब दूरदर्शन के तीन उद्देश्य रखे गए थे। एक था-दर्शकों को शिक्षित करना, दूसरा था-दर्शकों को सूचित करना और तीसरा उद्देश्य था-उनका मनोरंजन करना। लेकिन आज उसका एक ही उद्देश्य रहा है-दर्शकों का मनोरंजन करना। सर, प्रारम्भ के दो दशकों तक दूरदर्शन का प्रमुख उद्देश्य दर्शकों को शिक्षित करना रहा। कृषि दर्शन और शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करके दूरदर्शन ने उद्देश्य निभाया था। लेकिन जब 1982 में एशियाई खेलों का सीधा प्रसारण शुरू हुआ तब से दूरदर्शन ने पूर्ण रूप से व्यवसायिक नीति अपना ली। मनोरंजन की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके अन्तर्गत धारावाहिक का प्रसारण शुरू किया गया। फिल्में, फिल्मी गीत तथा अन्य रंगारंग कार्यक्रम दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। दूरदर्शन पर कई साल पहले कुछ ऐसे धारावाहिक आए थे जैसे कि-पुकार, संघर्ष, उड़ान, प्रथम प्रतिशोध, इम्तहान वगैरह जिसमें महिलाओं को आत्म-सम्मान के साथ जीना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना, खतरनाक स्थिति में भी महिला पीछे न हटें और संघर्ष करके आगे बढ़ें। सती प्रथा, पर्दा प्रथा और जमींदारों के शोषण के सामने चुनौती देती हुई खड़ी रहें। मेहनत और ईमानदारी से दुश्मनों का मुकाबला करती हुई आगे बढ़ती हुई हमारी युवाशक्ति को दिखाते हुए वह धारावाहिक उन महिलाओं को मजबूत बनाते थे जो अपने आपको कमजोर समझती थी। लेकिन अभी जो धारावाहिक बन रहे हैं और उसमें अपराध, सैक्स जैसी मोहजाल में युवती फंसे और अपराधियों का शिकार बने। दर्द, स्वाभिमान जैसी फिल्में परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते है। फिल्मों में बैड रुम के दृश्य, अपनी पत्नी के साथ शराब पीना, नवयुवती और नवयुवकों का कालेज कैम्पस में खुलेआम एक दूसरे को चुम्बन करना, पारदर्शक कपड़े पहनकर नृत्य करना, अपने दैहिक यौवन का खुलेआम प्रदर्शन करना। इन सबके द्वारा हम समाज को कौन सी संस्कृति दिखाना चाहते है? इस तरह के धारावाहिक क्या देते हैं हमारी महिलाओं को? आज दूरदर्शन भारत के सभी

गांवों तथा एक-एक घर में पहुंच चुका है। दूरदर्शन को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अश्लील कार्यक्रमों का बच्चों, युवा वर्ग, भोले-भाले ग्रामीण और अशिक्षित लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। क्या फिल्मी माध्यमों के अलावा अन्य तरीके से दूरदर्शन मनोरंजन नहीं करा सकता? बताइए कि हमारे वैज्ञानिकों को नए-नए प्रयोग करते समय क्या कठिनाइयां होती हैं? उनको कैसे अनुभव होते हैं? क्या रोमांच होता है? हताशा, निराशा और आशा के बीच उनकी क्या सोच थी? बताइए हमारे डॉक्टरों को जो सीरियस ऑपरेशन करते हैं, उनका अनुभव कैसा रहता है? यह सब बताने से मनोरंजन भी हो सकता है और शिक्षण भी हो सकता है। लेकिन दूरदर्शन को तो फिल्मी कलाकार ही पालनहार लगते हैं क्योंकि वे पैसे देते हैं और पैसे दिलवाते भी हैं। आज दूरदर्शन का पैसा कमाना ही सबसे बड़ा कार्य है।

महोदय, जब दूरदर्शन के दूसरे चैनल शुरू हुए तो मुझे लगता था कि सरकारी और निजी कार्यक्रमों के बीच स्पर्धा रहेगी और दर्शकों को अच्छे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे लेकिन यह बात गलत साबित हो गई है। जब बड़ी दर्घटना होती है तब भी दूरदर्शन समाचारों में एक खबर दे कर अपना कार्य पूर्ण हुआ, ऐसा मानता है। डबवाली में हुए भीषण अग्निकांड के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी समाचार-पत्रों के माध्यम से ही मिली। दूरदर्शन ने न तो इस घटना के बारे में लोगों को पूरी जानकारी देना ज़रूरी समझा, न ही इस पर शोक प्रकट करना। अब तो दूरदर्शन पर कवि-सम्मेलन भी नहीं आते हैं, न अच्छे नाटक आते हैं।

महोदय, एक संशोधन हुआ है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग और गांधीवादियों की संस्था "आज़ादी बचाओ आंदोलन" द्वारा एक सर्वेक्षण हुआ था। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि टेलीविज़न कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के लिए खतरा हैं। सर्वेक्षण में समाज के विभिन्न वर्गों से चुने हुए 200 लोगों में से 47 परसेंट लोगों ने टेलीविज़न को संस्कृति का प्रदूषक माना है। 56 परसेंट लोगों ने कहा कि टेलीविज़न पर नग्नता ज्यादा दिखाई जाती है। 30 परसेंट लोगों ने माना कि बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। 56 परसेंट लोगों ने नग्न तसवीर छापने वाली पत्रिकाओं के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की है।.....**(व्यवधान)**.....

SHRI LACHHMAN SINGH (HARYANA): Sir, I am on a point of order. The hon. Member has mentioned about the sad incident at Dabwali. It was covered by Doordarshan. So, it may be corrected. I had seen it myself.

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: नहीं, दूरदर्शन ने बताया था, पर पूरा विवरण नहीं दिया था।

SHRI LACHHMAN SINGH: Certainly, you can verify it.

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: ठीक है। 41 परसेंट लोगों ने मीडिया नीति में परिवर्तन की मांग की है। दिल्ली की एक अदालत ने वयस्कों के लिए निर्मित फिल्मों के दूरदर्शन द्वारा प्रसारण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। अदालत ने सेंसर बोर्ड से भी आग्रह किया है कि महिलाओं को अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रमों तथा दोहरे अर्थ वाले गीतों के प्रसारण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं उम्मीद रखती हूं कि दूरदर्शन के उच्च अधिकारी अदालत के फैसले और आलोचना से सबक लेंगे और छोटे परदे को परिवार के साथ बैठ कर देखने योग्य बनाएंगे। मनोरंजन के नाम पर जो अश्लील कार्यक्रम प्रदर्शित किए जा रहे हैं, उनको तुरंत बंद करेंगे और हमारी संस्कृति की रक्षा करेंगे, धन्यवाद।

DR. B.B. DUTTA (NOMINATED): Mr. Vice-Chairman, Sir, this Bill, Prohibition of Indecent Representation of Women, is most welcome. It is welcome in the sense that it has provoked a discussion which leads to a lot of heart searching amongst us. Some curb has to be imposed on what is going on through media, through electronic media or through print media by picturising women in a very indecent manner. So, the Bill is very relevant. Before I go to the Bill itself, I would like to invite the attention of this august House to a very fundamental point. The question is this, there are a lot of talks about various aspects of women's lives, their position in the society, in the household itself. In fact, there is another Bill waiting to come which is about the position of women in the household affairs, of the harassment being meted out to women in their workplace; These are talks about womens' liberation etc. First of all, we should be very clear in our minds, in this modern age what position we would like to give

women in our society. To my mind it is a very fundamental question because we should not take a very hypocritical attitude. What is the role of women in the Indian society? I think in India today, this question is not being very clearly, forthrightly answered and it has to be answered by all of us-the men-folk, the women-folk, both. In the various stages of our history, if we go to the ancient times, we see and it is thought by our elders, out thinkers, our law-givers that women have to be taken care of by the father when they are girls, by husbands when they are married and if they are not married, then by brothers. This shows that a woman cannot live all by herself. That is the fundamental assumption behind it. The question is, do you agree with such an attitude towards women? Secondly, we also see that in various stages of our history, say, in the later-vedic period, we have seen women attaining the highest level of intellectual activity. There is the famous episode when Rishi Yajnavalkya had a dialogue with Maitreyi and Gargi. This shows how free women were in India in this country in the ancient times of our history. In the post-vedic period we find two model roles of women; one is that of Sita. Now how is Sita being depicted? She became a symbol of the ideal Indian womanhood. Sita symbolises the gentle, obedient, suffering women who is an ideal to be emulated by all the woman-folk. And that is how in every household, in every village where this epic is being read, and stories narrated and understood.

Poets travelling from one end to the other have sung songs in praise of Sita. This is the ideal before you. Then you have in Mahabharata another great women, Draupadi. There she is different. She is aggressive, she is defiant at times, she is not willing to put up with what she is facing, a symbol of resistance.

So that was in our society. There were a lot of concoctions later on made to compromise even Draupadi's defiant aggressive posture, to bring here a little nearer to Sita. But the two remained the role models. This is the kind of situation. Manu, the famous law giver in our history, presented Sita as an ideal. Whatever laws he had prescribed, that make Sita the ideal. Manu avers, "The Gods are pleased with those households where women are held in high esteem and honour; that a husband should be punished by the king if he discards his wife even when she is not guilty of any crime." Manu also propounds that "a husband has absolute right over his wife"—that should be noted—"to the extent of inflicting corporal punishment and to discard her immediately if she says anything unpleasant or disagreeable to him." "A women," according to Manu," was not to be independent even within her own household. A wife was expected to worship her husband as God, even though he might be a wayward, bereft of any virtue and seeking carnal pleasures elsewhere." "On the other hand," according to Manu, "a women was expected to be truly and perennially chaste and faithful to her wretched husband, be he alive or dead." It is strange that Manu permitted a husband, after the funeral of his wife, to marry again. But the wife was not allowed to follow this in her life. Now, this is the kind of thing, which prevades and represents makes the spirit in the majority of Indian polity. Now we have to make our position very clear; where we want women to be liberated; where we want women to be treated nicely with dignity in their own houses, where we want that women should have a very free and fair atmosphere in the place of work without being harassed. With what attitude do we look at women? I find that we are not very sure about it because the modern posture is this that you want your wife to be what Manu had prescribed and you want your girl-friend to be free from Manu's prescription. This is the kind of attitude we have because of the influence of the West that has permeated into our society. We lead a different kind of life

here but when we go to the West, Europe, London, America, we want another type of life, which is manifest in our behaviour, in our attire, in our attitude to women. This Jason faced attitude and behaviour should vanish from our minds. Otherwise, it becomes ultimately useless whatever the kind of laws you enact after all who is going to implement it? And at every stage, some kind of compromise will take place. Mr. Vice-Chairman, on that day when you were participating in this discussion, you mentioned something about Konark, i.e. work of arts in the walls of the Sun temple of Konark; that is not something indecent you said and I will come to that later. I would like to say that Islam being the youngest religion in the world, the latest one, has given a lot of freedom to women. This was the first religion that gave women a place of honour. Prophet has to be credited that he gave a lot of freedom to women in the hostile conditions of Arabia, where Islam was born. Considering the social conditions in those days the amount of freedom that was granted was stupendous; it was revolutionary. But unfortunately not only in India but elsewhere also, but particularly in India I should say it is even more, that women in the Muslim society are being treated very badly. The spirit of freedom is not prevailing. There is no reform and women are subjected to a lot of things to which they should not be subjected to.

3.00 P.M.

This also calls for the attention of this august House because whatever law you pass, you must ensure that women are not discriminated and made to suffer.

Sir, India is a land where Hindus, Muslims, Christians and Buddhists -- all kinds of people-- are living. Any kind of freedom that we want to give to our women must percolate down to all the communities, to all the strata of our social structure. It should not remain confined to any one particular group. The other day we were talking about representation for women and impressed upon the Prime Minister the need to give 30 per cent reservation for women. The question is not one of just giving 30 per cent representation for women. The question is: up to what level this 30 per cent would percolate down, up to which community it would go, and where it would stop? We have to examine this aspect also whether all the communities, all sections, tribals, all castes, Scheduled Castes and others, Muslim women, Hindu women, all strata of the society, would be equally benefited or not. This aspect is eqaully important. It is important that this also should be taken care of.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the main objective of the Bill which my hon. colleague, Sarojji, has moved, is in regard to the indecent representation of women. Again, this is very valid because we find, today, in our country, the kind of behaviour of men -- ours is still a male-dominated society -- towards women is, increasingly, becoming offensive. If it is increasingly, becoming offensive, there must be some reasons behind this sudden spurt. One reason, definitely, is -- I should say, one important reasons -- the indecent representation of women in the print, electronic and other media. Therefore, this, definitely, calls for urgent attention from our law-makers so that, to the extent possible, through the enactments, through law-making whatever can be done should be done.

At the same time, Sir, I would like to remind the House that passing laws alone would not take care of this problem. The society, itself, has to play a larger role. Today, as a Member of this House, I may say that this kind of indecent representation of women should stop. When I go out of the House, I have different circles in which I mix and several others whom I visit. I find that I am in a different role and I also enjoy myself when certain things go wrong. We have to curb this type of thing in ourselves first. That is why I say law-making alone

is not enough. All the political parties must come to an unanimous opinion as to what is the role of women in Indian society today. Let us decide this first that they would be equal partners in the society; they would be equal partners in all respects; they would have equal rights in regard to property; they would have equal rights in regard to jobs, whereever they are suitable. Women should be allowed to play an equal role in everything, wherever they have capabilities.

One thing is guaranteed, Sir. it has been displayed all over the world. It has been proved beyond doubt. Women are capable of playing an important role, women are eminently capable of playing an important role. This has been proved beyond doubt in modern times. We have had our illustrious leader, the late Shrimati Indira Gandhi. We have had women Prime Ministers in other countries, very successful Prime Ministers; for example, in Israel, in U.K. There are a lot of examples. They have even perhaps done much better than men. Women are doing a very good job in the sports field, for example; not only in the sports field, but in the intellectual field, in culture, in arts, in literature in services; and in everything. In all these fields, women have made their mark and have contributed much to the growth of civilisation.

Therefore, it is not enough that we, the political parties, participate in the discussion and say that we all agree. We should make a conscious effort in this direction. We should see that women are made our equal partners, that they are not what Rishi Manu had envisaged. They are not, today, in this age, capable of just taking care of man's other problems mundane problems, only. It is not enough that we remove poverty, we treat everybody well, we provide everybody with a house -- provided we do not quarrel among ourselves. What is more important is that we give our women an equal share in every aspect of life - inheritance, i.e. property matters, jobs choosing a partner etc. Only when we ensure this, this Indecent Representation of Women (Prohibition) Bill, or, some other enactment, a more comprehensive Bill, which the Government may bring forward in its place, would have some meaning. Other-wise, laws would be passed one after another, but it

would not have any impact on the society at large. It would have if at all, only a marginal effect. Mr. Vice-Chairman, in he past also we have seen such things. Whenever some curbs are there, whenever people say that you cannot print a picture of a woman like this, then some people will get up and say, "This is an excellent work of art. Why do you object to this? You are just impinging upon the freedom of the artist." About this question also we should be very careful because there are masterpieces in the world-nude pictures painted by great masters. Should we banish them from the world museums? We can't. They made a contribution to art and they are going to stay there.

Yes, you yourself have mentioned that in Konark there are nude depictions, engravings, on the temple walls. They are there in Kharjuraho also. In many other parts of the world such things are there. Should we way that they should be banished? No. We agree that these are works of art.

Again, we come to the other extreme. I have myself seen a weekly particularly in demand because on the back page there comes a nude photograph. Among the students at high school level, college level, university level — everywhere — that weekly was in great demand because of the last page, just to have a look at that picture. Now, this is the kind of thing which cannot pass as a work of art. We cannot allow the business sector, the industrial sector, people who are working in the business fields where they want to maximize their profits and want to increase their clientele and customers by harping on certain weaknesses of young people and come outwith some kind of

advertisements depicting a nude woman or a woman dressed in an inviting posture. Now, this can certainly be stopped. If some people are sitting to censor all these things, if they are honest unto themselves,this issue between what is art and what is appeal to sex can very well be settled. There is no problem. I know, these points will come up whenever we go in for an enactment. But I say, if we are honest unto ourselves and if we want to do somthing like this, we can do it.

Another point. Here I must quote poet Rabindranath Tagore. He once said, "Dress is there to enhance the personality of man. If you dress yourself so beautifully that the dress becomes more beautiful than yorself, then you are lost." Sometimes you may overdress, sometimes you may underdress—all these things are indecent. Dress is there to protect us from cetain unhealthy climatic conditions, but it should be so artistically fitted that it enhances the personality of man, or what is in a man or woman. When you come to the present day of indecent representation, the question of dress comes in. sometimes we see that somebody is well-dressed, but the posture is such that it is highly provocative and indecent. Though the whole body is covered, the message is very clear: it is indecent.

Sometimes we come across burqa-clad people. Because of old customs and traditions prevailing, somewhere people used to cover everything, from head to foot, under a thing called burqa. To a modern man, a thinking man or woman, this is also torture, this is also indecent. Just as it is bad to be nude, it is equally bad to be so much covered that the person is lost inside the dress, forgetting about climatic conditions and everything.

I say, let this Bill brought forth by Miss Saroj Khaparde be discussed. Already there has been wide participation. But we must do a lot of thinking a lot of radical thinking, I must insist—before a comprehensive Bill is brought because, as the hon. Member, Mr. Fernandes has said, this Bill is not enough. This Bill has provoked a discussion—good—but we except the Government to come out with a more comprehensive Bill. So, I also join my friend and request, let there be a more comprehensive Bill, a well-thought-out Bill. And the Bill must start with certain realistic assumptions. The assumption must be that the women do have equal rights in the Indian society today. Whatever may have been the traditions, whatever may have been there in the earlier stages, forgetting all those things, we should start with this assumption. Otherwise, we will not do justice by merely passing a Bill here or a Bill there.

I particularly request all the Members both in the ruling coalition and the Opposition to look at the problem that we can at least have a Bill passed unanimously, heralding a kind of social reform which is badly needed in India beacause the Indian society is not yet reformed today. Maybe, the Hindu society is reformed to an extent. Maybe, the Muslim society is not that reformed. Maybe, the Christian society, due to the western influence, may have gone further ahead in social matters. But the fact remains that by and large in India today we have not gone through the kind of social reform that is urgently necessary.

Thank you.

श्रीमती कमला सिंहा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या कुमारी सरोज खापर्डे द्वारा प्रस्तुत इनडीसेंट रिप्रेजेंशन आफ वीमेन प्रोहिबीशन अमेंडमेंट बिल, 1996 का समर्थन करती हूं। यह विधेयक 1986 में पारित हुआ था—इनडीसेंट रिप्रेजेंटेशन आफ वीमेन। सरोज जी का जो उद्देश्य है, बहुत ही सीमित है। इंहोने अपने आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में कहा है —

"These days, the markets are flooded with books, magazines, periodicals posters and other pornographic literature which depict women in most vulgar way. These books contain nude, semi-nude photographs of women exposing the private parts of their bodies which is bring-

ing shame to womanhood of our country. These magazines are just pornographic literatures which are spoiling the minds of our youth and resulting in heinous crimes like rapes and other assaults on the women and girls in the country. The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act does not contain such aspects and thus is incomplete. The Act has to be updated to make it more stringent."

So, this is the purpose of this Bill.

सदन में बहुत बातें कही गयी हैं। अभी पूर्ववक्ता ने मनुसंहिता से लेकर भारत की सभ्यता, संस्कृति और दुनिया के आर्ट एण्ड कल्चर में न्यूडिटी है उसके बारे में प्रकाश डाला। मैं उन बिंदुओं में नहीं जाना चाहती हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि यह ठीक है कि मानव सृष्टि और मानव शरीर प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर देन है, चाहे नारी का हो चाहे पुरुष का। प्रकृति ने और शायद सृष्टि ने बहुत प्यार से इस धरती को गढ़ा था और साथ ही साथ मानव की सृष्टि जब उसने की होगी तो वह भी उस समय बहुत प्यार से आदर से की होगी। बात बिगाड़ने वाले तो हम हैं। हम आदिम मानव और आदिम नारी की कहानी याद करें जो हमारे सामने है। लेकिन इतना भीतर जाने की जरूरत नहीं है। हम आज की दुनिया की ही अगर बात करें तो हम जानते हैं कि बात को कि हमारे समाज में विकृतियां कैसे आती हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। 3-4 महिला संगठनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि घरों में, परिवारों में किस तरह से छोटी-छोटी लड़कियों के प्रति अन्याय, अत्याचार किया जाता है जिसको फेमिली इनसेस्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट पर विश्वास करें या न करें लेकिन यह कहा गया है कि—

> "Eighty per cent of our girl children are subjected to family incest within the family."

तो जिस समाज की यह हालत है, हम अपने परिवार में सुरक्षित नहीं हैं। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि नारी वह जब छोटी रहती है, बेटी रहती है तो बाप उसकी रक्षा करता है जब बाप भक्षक बन जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? बाप नहीं रहे तो भाई रक्षक रहता है, लेकिन भाई जब भक्षक बन जाए तो हम क्या करेंगे? जो पति शादी के बाद रक्षक रहेगा वह पति पत्नी को बाजार में बेच देता है पैसा कमाने के लिए तो हम क्या करेंगे? आज की स्थिति यह हो गई है। आज हमारे समाज में सब से बड़ी बात पैसा हो गई है। सब से बड़ी बात अर्थ की लालसा हो गई है। किसी भी प्रकार से हमें पैसा चाहिये। यह समाज की मनोविकृति है। इस मनोविकृति को तो ज्यादा दिनों-दिन और बढ़ावा कंज्यूमरिज्म दे रहा है, भोग-विलास के प्रति जो आकर्षण दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है उससे। लोग यह कहते हैं कला, संस्कृति, पुस्तक ये सभी बातें रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिफलित करता है समाज के मानस को और आज के समाज का मानस, मैं अगर यह कहूं कि भारतवर्ष की मानस नारियों के प्रति आज के दिन में विकृत मानस है तो शायद मैं गलत नहीं कहूंगी। यह चाहे किसी भी क्षेत्र में महिलाएं हों उनके प्रति एक विकृत मनोविकार हमारी सोच में है। महिलाओं को हम ठीक है बड़े श्लोक में कहेंगे, धर्म में, पूजा में कहेंगे, जो हिन्दू हैं वे जानते हैं, मां दुर्गा की पूजा करेंगे, शक्ति का अवतार कहेंगे, लेकिन उसके बाद तुरन्त नारी की अवमानना होगी। ये कानून बनते हैं और कानून अवहेलना करने के लिए बनते हैं, इसका उल्लंघन होने के लिए कानून बनते हैं। Flagrant violation of our Acts is happening everyday. बारम्बार महिला संगठनों ने कहा है मैगज़ींस, किताबें छपती हैं उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो लाबीज आपरेट करते हैं इसके पीछे ये लाबियां इतनी पावरफुल होती हैं कि एक, दो, तीन, चार जो महिला संगठन हैं वे उनके सामने कुछ नहीं कर पाती हैं। मुझे याद है उस सदन में पिछले दसवीं लोक सभा में हमारी एक सदस्या इलाहाबाद की रिप्रेजेंटेटिव थीं श्रीमती सरोज दुबे जी, उन्होंने कुछ मुद्दों को उठाया था। बारंबार उन्होंने लोक सभा में उठाया और लिखा भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह अखबार में, मैगज़ींस में फ्रंट पेज पर, बैक पेज पर बहुत शान से तस्वीरें छपती रही और लोग खरीदते रहे। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसने कुछ भी नहीं किया। शायद उनका मानस बना हुआ है कि किसको हम वलगर कहेंगे वह लाज की पेरीफरी के बाहर कौन सा है, विदिन द पैरामोटसर आफ लाज कौन सा आता है। यह तो लाज के इंटरप्रेटेशन की बात है। इंटरप्रेट आप कर सकते हैं लाज को एक ही कानून के तहत आप किसी को फांसी चढ़ा दे सकते हैं और किसी को खुले आम छोड़ दे सकते हैं। तो यह इंटरप्रेटेशन की बात है। उसी तरह से इन मुद्दों का भी इंटरप्रेटेशन होता रहता है।

महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगी कि सरकार को इस विधेयक को तो तत्काल मान लेना चाहिये क्योंकि इसका

बहुत सीमित उद्देश्य है और एक दूसरा विधेयक लाना चाहिये जिसमें बाकी बातों को भी उसमें जोड़ कर करना चाहिये। औरतों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, छोटी-छोटी लड़कियों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, इन सभी बातों को एक साथ जोड़ कर...। सभी बातों को मिलाकर जिस तरह से समाज का कल्याण हो सके, उस बारे में बहुत गंभीर होकर सोचना चाहिये।

महोदय, अभी हमारे पूर्व-वक्ता ने कहा कि अगर औरतों को रोजी-रोजगार की सुविधा मिले तो इस में रुकावटें आएंगी। मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं, जरूर सुविधा मिलेगी उस से। आजकल मॉडलिंग भी एक बहुत बड़ा रोजी-रोजगार का उपाय है। अब मॉडलिंग में औरतें जाती हैं और दुर्भाग्यवश उनको दवाब में आकर, अपने एम्प्लायर के दवाब में या यो कहिए कि बाजार के दवाब में आकर ऐसी मॉडलिंग न चाहते हुए भी करती पड़ती है कि अपने शरीर का प्रदर्शन उन को करना पड़ता है। सिनेमा वर्ल्ड में भी यही होता है। अगर सिनेमा वर्ल्ड के नए-नए कलाकारों के इंटरव्यूज़ को आप पत्र-पत्रिकाओं में पढ़े तो वह कहते हैं कि हमें मजबूरन यह करना पड़ता है क्योंकि यह कहा जाता है कि आप अगर अपने गशरीर की न्यूडिटी या अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करोगी तो यह सिनेमा बाजार में बिकनेवाला नहीं है और आप की मॉडलिंग का कैरियर फ्लॉप हो जाएगा। आप आगे नहीं बढ़ सकोगी। तो उन्हें मजबूरन करना पड़ता है।

दूसरी बात, मैं आप के सामने रखना चाहती हूं जोकि आज ही के अखबार में मैं पढ़ रही थी। महोदय, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में संस्कृति की विविधिता है। We have a variety of cultural aspects in our country. आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाएं तो हमारे यहां भाषा अलग-अलग है, प्रांतीय भाषा अलग है, लिबास अलग है, संस्कृति अलग है, कला अलग है, शिल्प अलग है। आप पूर्वांचल में चले जाइए—मणिपुर, आसाम से शुरू कीजिए, पश्चिम में सूरत चले जाइए और हिमाचल प्रदेश से कन्या-कुमारी तक चले जाइए, हर प्रांत की अलग-अलग विविधिता है और इस विविधता में हमारी एकात्मता है। आज हम अपने देश की इस विविधता को दुनिया के बाजार में बेचने जा रहे हैं। हम टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने जा रहे हैं, लेकिन उस के लिए हो क्या रहा है? मैं ने आज ही के समाचार-पत्र में पढ़ा है और यह केवल आज ही की बात नहीं है, पिछले कई सालों से समाचार-पत्रों में निकल रहा है कि एशिया के देशों में, खासकर टुरिज्मज़म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और यह जो एड्स की बीमारी फैली है, उस के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बड़ा भारी लिंकेज है "सैक्स ट्रेड"। महोदय, इस सैक्स ट्रेड मे 8,10,12 साल की बच्चियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एच०आई०वी० इनफेक्शन न हो, एड्स की बीमारी न फैले। महोदय, नेपाल की ट्रायबल लड़कियों को मंगवाया जाता है। बांग्लादेश की 8-10 साल की लड़कियों को मंगवाया जाता है यह भुलावा देकर कि बिना दहेज के शादी कराएंगे तो हम कहां जा रहे हैं? एक तरफ हम अपनी ट्रेड इंडस्ट्री के नाम पर, टूरिज्म इंडस्ट्री के नाम पर यह सब देख रहे हैं और दुनिया मैं बैंकाक, थाइलैंड और फिलिपींस की जो कहानी है, उसे कौन नहीं जानता है? हम भी उसी तरह से उसी कैटेगरी में जा रहे हैं और साथ में यह दोनों भी रोएंगे कि हमारी नंगी तस्वीर पोस्टर में सिनेमा हॉल के बाहर न लगे, पत्रिका में नहीं छपे। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आखिर हमारी प्रायरिटीज़ क्या हैं? यह तो होता रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी रहे। उस से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में कोई-न-कोई सरकार तो रहेगी। ठीक है, आजादी के बाद इतने दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही। इन्दिरा गांधी एक औरत थीं, वह भी रहीं प्रधान मंत्री। उन्होंने भी हिन्दुस्तान की बाकी औरतों के दुख दर्द को नहीं समझा। उन बातों पर नहीं सोचा। आने वाली सरकार क्या कर पाएंगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन, निश्चित रूप से जिस समाज में यहां तक इतनी बड़ी बीमारी रहेगी वह समाज कतई आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस समाज में स्त्री की अवमानना, छोटे छोटे बच्चों का इस तरह का फिजिकल वायलेन्स होता रहेगा तो वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यूरोप नहीं हो सकते, हम अमरीका नहीं हो सकते। हमारी प्रायरिटीज में फर्क है। अब इन देशों में भी, दुनियां के विकसित देशों, यूरोप और अमरीका के दोशों में भी रिथिंकिंग शुरू हो गई है कि हम जहां जा रहे हैं क्या वही सच्चाई है, क्या वही सच्चा रास्ता है? आखिर हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं? इस बारे में रिथिंकिंग शुरू हो गई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि पुस्तकों की जो छपाई होती है उसमें औरतों के बारे में अगर किसी भी तरह की कोई इनडिसेंट बात हो, किसी भी तरह की कोई ऐसी तस्वीर हो जो आपत्तिजनक हो, तो वह कतई नहीं छपना चाहिए। पोस्टर, मैगजीन, पीरिएडिकल्स, यह सब कतई इस तरह के नहीं छपने चाहिएं, जिसमें वलगर डिसप्ले आफ ह्यूमन बाडी, वीमेन

बोडी हो। साथ साथ प्रोनोग्राफिक लिटरेचर कतई नहीं छपना चाहिए। हम इसके ऊपर बेन लगाते हैं, लेकिन आज के दिनों में ब्ल्यू-फिल्म की तो भरमार है। यह बात तो उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आनन्दीबेन जी चली गई, उन्होंने सिनेमा के बारे में कहा, सही कहा। आजकल तो टेलीविजन पर जो छोटे-छोटे धारावाहिक, सीरियल आ रहे हैं, यह सब ऐसे आ रहे हैं कि जिसको आप बैठकर देख भी नहीं सकते। म्यूजिक एडवान्स के नाम पर ऐसा संगीत सुनाया जाता है, जिसको आप सुन नहीं सकते और ऐसा डान्स दिखाया जाता है, जिसको डान्स के नाम पर शर्म कहना चाहिए। जो इस तरह से वलगर डिसप्ले आफ सेक्स उसमें दिखाया जाता है, यह बड़े शर्म की बात है। आखिर हम कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को?

महोदय, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम अपने देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, हम सबको ऊपर उठाना चाहते हैं, सबका कल्याण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारी आधी आबादी को हम अपमानित करते हैं और उनको अपमानित करने के लिए सरेआम बाजार में बेचते हैं। महाभारत में द्रोपदी एक दिन नंगी हुई, उनका वस्त्र हरण एक दिन हुआ था, लेकिन महाभारत के द्रोपदी वस्त्र हरण के बाद हिन्दुस्तान में हजारों-लाखों औरतें बराबर निर्वस्त्र होती रही हैं। द्रोपदी की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण थे, आज के दिन कोई श्रीकृष्ण नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूंगी कि धर्म के नाम पर भी अगर इस तरह का सीरियल हो तो उसको भी बंद करना चाहिए क्योंकि महाभारत ने आज के हिन्दुस्तान में दुबारा नारियों को निर्वस्त्र करना शुरू किया है। बारम्बार आपने अखबारों में ऐसा पढ़ा होगा। तो इस तरह का सीरियल नहीं दिखाना चाहिए। हम यह अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपने सीता की चर्चा की। राम के बारे में आप लोग बहुत तारीफ करते हैं-मर्यादा पुरुषोतम राम। उस चर्चा में, बहस में मैं नहीं जाना चाहती हूं। लेकिन मेरे लिए राम "मर्यादा पुरुषोत्तम" नहीं हैं, उन्होंने गर्भवती सीता को बनवास में भेजा था, इस बात को मैं भूल नहीं सकती हूं। इसलिए मैं यह चाहूंगी सरकार से कि अपनी आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए हमारे छोटे-छोटे नौजवान बच्चों के लिए, हमारे अपने बेटे-बेटियों के कल्याण के लिए बहुत सोच-समझकर उसे बहुत ही सख्त कदम उठाने चाहिए। आज ही अखबार में पढ़ रही थी "बहादुरगढ़" के बारे में, "बहादुरगढ़" दिल्ली के पास का इलाका है, कि वहां तीन, चार, पांच या 6 साल की बच्चियां स्कूल जाती थीं, वहां 11 बच्चियों का किडनैप हुआ, रेप हुआ और उन्हें जान से मार दिया गया। तो यह जो मानसिकता में विकृति आई है, इसके पीछे भी यही कारण है कि समाज में एक विकृति आ गई है। इस विकृति को दूर करने के बारे में भी बहुत गहन चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए और विचार करके एक समग्र विधेयक सरकार को लाना चाहिए और उसे तत्काल पास करवाना चाहिए। धन्यवाद।

DR. (SHRIMATI) BHARATI RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. Much has been discussed in this context. I will be very brief and make only a few observations

First, the term "indecent" almost defies any definition because decency and indecency are culture-specific. What is 'decent' in USA or Europe may not be regarded as 'decent' in India. For example, if a woman in a bathing suit comes out of a car and goes into a shop, we all will be shocked in India, but in the West it may be accepted as natural. In India women when they go out in the public are covered usually up to the ankle; that is Indian culture and our hon. Member, Miss Khaparde, has constructed this Bill in that context.

But then, it is a grey area, it is also a dangerous areas, in one sense. We talk of freedom of expression, freedom of thought, freedom of speech, of civil liberties and all that. Therefore, imposing restrictions can invite criticism. And also, we have to be very, very careful, extremely careful, about imposing a restriction; if we set any restriction, we have to be sure about its rationale, about why we want it, because in the name of culture, in the name of traditions, in the name of history, there may be restrictions, too many restrictions, again imposed on a woman, whatever be the form. Therefore, it is a grey area and it is very, very difficult to really define or to give definite parameters to "decency". I suppose

we have to exercise our definition and act accordingly.

Nudity has been described or identified by our hon. Member as a bench-mark of indecency and, as hon. Member Dr. Dutta said just now, representations of human bodies, unclothed human bodies of men, women and children have been accepted in art; we do not object to that. We appreciate, we accept that. What we object to or what we protect against is the commercialisation of the female body. You know very well, Sir, that sexist displays have become quite a norm with industry as well as advertising agencies who make huge profits at the cost of women, at the expense of women. What does it mean, a woman selling a product? As you all know,—references have been given by previous speakers—a woman, is often shown half-dressed selling a product which has nothing to do with the figure of the woman in the ad. What does it mean? These displays are but a reflection of how a woman is regarded in a consumer society—as a consumber good.

I must acknowledge and I must emphasise that nothing sells without demand. There must be demand for female body, otherwise why does it sell? That doesn't mean that we should fan the demand. How to tackle this demand is a very complex socio-psychological problem. But we must not promote it. Pornography as an industry, as is well known can grow only if it continues to increase the level of stimulation it promotes. And that, any sociologists will tell us, is related to rape and global violence against women to which hon. Member, Shrimati Kamla Sinha, was referrig. It is this, only this, which must be the rationale for prohibition of the objectification of a female body in print. This is the subject of this Bill.

But we all know that the print media has only a limited appeal in India where so many people are illiterate. The electronic media is all pervasive. I agree with Mrs. Sinha and other previous speakers that we hope that the Government will take measures to prevent commercialisation of female body through the media, be it print or electronic.

SHRI S. PETER ALPHONSE (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I thank you for giving me this opportunity to support the Indecent Representation of Women (Prohibition) Amendment Bill, 1995. The Indian culture has seen woman only as mother. That is why we call our land as our mother-land and the language as the mother-tongue. We also call the nation as Bharat Mata. So, the Indian culture is totally different from the Western culture. Vulgarity and indecency have been imposed on us due to westernisation. On one point I differ from the views of my friends, that is, regarding the indecent representation of women. Instead of women, I think, it should be a human-being or a human person. On the other day I happened to see a magazine which was exclusively meant for ladies. In that magazine a male with well-built muscles in a simple underwear was focussed. So, indecency and vulgarity are not confined to women alone. Now the time has changed. Man is also exposed in a most indecent and vulgar manner. You see the posters and advertisements of condoms where both men and women are exposed in the same way. So, indecency is not confined to women only. It is also applicable to men.

Another question which we face is: Who is more guilty, whether the lady who poses for the picture or the man who gets her so posed? There are two different aspects to this problem. I think women should be more resistent. I request our learned lady Members that each one of them should adopt one State and visit different parts of the country when there is no session to educate women because resistance should come from them. You know what the most powerful weapon in a lady is to tease a man. That is her physique and because of that empires have fallen, Governments

have changed and very great people have been sent to prison. Who is more heinous? Who commits the bigger crime? So, we should pay attention to that aspect also. I don't think that a mere law will serve the purpose. An Indian law cannot serve the purpose. Now we are living in a satellite age. Star TV has come. Everybody wants to see the Baywatch. Men in the age group of 20 and 21 sit on Tuesdays and Fridays to see the Baywatch. How do you stop the stellite encroachment or the commission of offence through satellite waves? So, the purpose of Parliament is to create an international opinion. It has now become a global problem. It is not a problem confined to India alone. It has become a global problem. So, we have to create international opinion. It is more of a social question than a legal question. We have to create awareness in the minds of rural women, urban women, those women who think that they can men because of their exposure. A lot of things have to be done for social transformation. It is a right cause. It is in the right spirit. I endorse the words of my learned friend. I think apart from legislating an enactment, we should also commit ourselves to go and educate the Indian women about obscenity, and women's contribution to Indian culture.

Thank you,

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): Sir, I congratulate the hon. Member, Miss Saroj Khaparde, for moving the Bill to amend the Indecent Representation of women (Prohibiton) Amendment Bill, 1995. I express my gratitude for her sincerity and keenness in moving this amendment Bill which seeks to prevent the abhorrent practice of depicting women indecently in electronic and print media and in films.

The Government had enacted the Indecent Representation of Women (Prohibiton) Act during the year 1986 with the intention of prohibiting indecent representation of women through advertisements or in publications, writings, paintings, figures or in any other manner. The violation of provisions of this Act is a cognizable offence. The responsibility for enforcing the penal provisions of the Act rests with the State Governments Since the Act is a social legislation and is still to gain wide publicity, there is a very little information from State Governments on the implementation or dissemination of the Act.

Recognising that the Act needs to be made more effective and in order to remove the lacunae in the Act, the Department of Women and Child Development initiated an exercise to comprehensively review the existing Act with the help of the National Law School of India, Bangalore.

The report submitted by the National Law School of India, Bangalore regarding amendment of the Act has been sent to the National Commission for Women for obtaining its comments. The Legislative Department, Ministry of Home Affairs and the Ministry of Information and Broadcasting have to be consulted before proposing any amendments in the Act.

Sir, some hon. Members have expressed concern over the proliferation of vulgar songs and dance sequences in films and excessive obscenity in television programmes, especially stellite TV channels. In this context, I would like to assure the House that all films intended for public exihibition in India are examined by the Central Board of Film Certification in accordance with the provisions of the Cinematograph Act, 1952 and the guidelines issued. thereunder. **The Board has to ensure that human sensibilities are not offended by vulgarity, obscenity and depravity and that scenes degrading or denigrating women in any manner are not presented.**

All Doordarshan programmes and advertisements including feature films and song sequences of feature films, except programmes telecast live, are previewed by Doordarshan before their telecast to ensure that no derogatory images of women go one the air. An hon. Member had suggested that artistic and scientific representation of women should be exempted from the purview of the Act. I may point out that such an exemption is already provided for under proviso (a) (i) of Section 4 of the Act. Hon. Members also drew attention to the vulgar depiction of women on satellite TV channels. The contents of the programmes and advertisements carried on foreign satellite chanels do not come within the ambit of Government regulations. however, programmes carried on cable TV are required to conform to the programme/advertisement code prescribed under the Cable Television Networks Rules, 1994. An hon. Member also suggested that Hindi films be included within the scope of the Act. Since films are already covered by the Cinematograph Act, it may not be necessary to include them under the Indecent Representation of women (Prohibition) Act. An important suggestion that the electronic media be brought within the purview of the Act has also been made. A suggestion was also made that men should not be portrayed in an indecent manner in advertisements. Since societal attitudes and mindsets which view women as inferior or as objects for exploitation cannot be merely changed through enactments, Government also conducts multi-media compaigns to change societal attitudes towards the girl-child and women and mobilise public opinion against atrocities committed against women. A country-wide gender sensitisation programme had been launched in 1991 to sensitise planners, policy-makers and the enforcement machinery. Government also assists voluntary agencies to conduct awareness generation camps. More than 12,000 camps, benefiting 2.70 lakh women have been conducted all over the country. Under the programme, 80 projects at a total cost of Rs. 137 lakhs have been sanctioned. The amendments suggested by Miss. Sarojji and the valuable suggestions made by other hon. members during the course of this discussion shall be kept in view while considering the changes to be made in the act. In view of the above position, I would request the hon. Member to withdraw the Bill.

THE VICE- CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Miss Saroj Khaparde, he has requested you to withdraw the Bill.

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): माननीय, इस सदन में जो विषय मैं चर्चा के लिए लाई थी, उस विषय पर मेरे दाएं, बाएं और मध्य के सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन तमाम सदस्यों के उत्साह को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस चर्चा का उत्तर देने के लिए हमारे सीनियर मंत्री बोम्मई जी यहां पर उपस्थित होंगे।

आज जब मैंने इस चर्चा का उत्तर राज्य मंत्री की ओर से सुना तो मेरे मन में बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैंने इसीलिए आपसे पुछवाया कि क्या मैं इस विषय को सदन में रेज कर सकती हूं तब कहीं जाकर मुझे आपसे जानकारी मिली कि श्री मोम्मई जी अपने दिल का इलाज कराने के लिए विदेश गये हुये थे।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): इलाज पहले ही करवाया जा चुका है वे टेस्ट करवाने गये थे।

कुमारी सरोज खापर्डे: मैंने जब टेस्ट करवाने की बात सुनी तो मैंने सोचा कि इस मुद्दे को उपस्थित नहीं करूं और मेरा उस मुद्दे पर अधिक बोलने का मन भी नहीं है लेकिन मैंने मंत्री जी का जो उत्तर सुना है वह बड़ा ही असमाधानकारक रहा है। कमला जी पीछे बैठी हुई हैं, माननीय सदस्यों के साथ बातों में लगी हुई हैं। अगर उन्होंने ध्यान से सुना होता तो शायद उन्होंने भी कुछ बातों के लिए आपत्ति उठाई होती। (..व्यवधान..)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): सरोज जी का कहना है कि उनके जवाब को पुरूष सदस्य बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आप एक मात्र दूसरी महिला सदस्या हैं, आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए।

श्रीमती कमला सिन्हा: मैं भी ध्यान से सुन रही हूं।

कुमारी सरोज खापर्डे: महोदय, मैंने यह नहीं कहा। उपसभाध्यक्ष जी आप जान-बूझकर ऐसा कह रहे हैं। मैंने

यह कहा कि मंत्री जी का जवाब आपको सुनना था। मान्यवर, आज से एक दशक पूर्व यानी अब 1996 है, 1986 के पूर्व की यह बात है। हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यह महसूस किया था कि स्त्री का हमारे समाज में अशिष्टरूपण हो रहा है जिससे हमारे समाज का नैतिक पतन होता जा रहा है। इसीलिए समाज में स्त्री को एक वस्तु समझकर उसे उपभोग का साधन बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम का सूत्रपात हुआ, इस अधिनियम का जन्म हुआ और अन्ततः इसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। इससे पूर्व हमारी पूज्य नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जो इस देश की तत्कालीन प्रधान मंत्री थीं उन्होंने भी यह महसूस किया था कि महिलाओं, विशेषकर बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। मुझे इस वक्त एक बात यहां कहनी होगी, कमला जी ने अपने भाषण में कहा कि इन्दिरा जी भी इन चीजों को समझ नहीं सकीं। खैर, मेरे मतभेद आपके इस विधान के साथ हैं। मैं अपने मतभेदों को आज इस अवसर पर सदन के सामने नहीं रखना चाहूंगी, किसी और प्रसंग पर मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी। क्योंकि इन्दिरा जी ने भी इस बात को महसूस किया। अतः इसी सदन में 1984 में महिलाओं से छेड़छाड़ संबंधी एक बिल पारित हुआ था और वह लोक सभा में स्वीकृति के लिए भेजा गया था, परन्तु उस समय लोक सभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक वहीं समाप्त हो गया और बाद में वह वर्तमान अधिनियम के रूप में पारित हुआ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस अधिनियम को पारित करवा कर समाज को सही दिशा-निर्देश तो दिया ही था, परन्तु इसके साथ-साथ यह दुर्भाग्य की बात है कि इस अधिनियम का जिस तरीके से इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए था, इसका कार्यान्वयन होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हो पाया।

सम्बद्ध विभाग कानून पारित करने के बाद बड़े आराम से निश्चिन्त हो बैठा और पुलिस के साथ कोई तालमेल न होने के कारण इस अधिनियम की कार्यवाही अपने हिसाब से ही चलती रही। उसके परिणामस्वरूप स्त्री अशिष्ट रूपण में असाधारण वृद्धि दिन-ब-दिन बढ़ती ही गई और नग्नता अपनी चरमसीमा तक पहुंच गई।

श्रीमन् मुझे बाध्य होकर अपना यह निजी गैर सरकारी विधेयक यहां संसद में प्रस्तुत करना पड़ा। इसी दरमियान अभी रिसेन्टली समाचारपत्रों में पढ़ने को मिला कि देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने अश्लील पोस्टर्स के विरूद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। इसी सिलसिले में उन्होंने दो सिनेमा हॉलों के मैनेजर्स को भी गिरफ्तार किया है। मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस का स्वागत करती हूं लेकिन साथ ही साथ उनसे यह अपेक्षा भी करती हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए इस प्रकार की जो मुहिम आपने छेड़ी है वह दिल्ली तक ही सीमित न रखते हुए अगर देश के बाकी प्रान्तों में भी आप इसको चलायें तो हम लोग इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा सकेंगे।

मान्यवर, 1 दिसम्बर, 1995 को मैंने अशिष्ट स्त्री रूपण (प्रतिषेध) विधेयक 95 पर सदन द्वारा विचार करने का प्रस्ताव पेश किया था। निजी क्षेत्र में यह मेरा प्रथम प्रयास रहा है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे इस सप्रयास का मेरे माननीय साथियों ने चाहे वे मेरे दाहिने ओर बैठे हुए भाई हो चाहे बायें ओर बैठे साथी हों....

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): और पीछे बैठे भाई?

कुमारी सरोज खापर्डे: सभी ने मुझे समर्थन दिया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपके पीछे जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी तो कुछ बोलिये।

कुमारी सरोज खापर्डे: मेरे इस प्रयास को उन्होंने समर्थन देकर मेरा हौसला बढ़ाया है जिसके लिए मैं उनका तहेदिल से धन्यवाद करती हूं।

मान्यवर, 1 दिसम्बर को इन साथियों ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया उनमें प्रमुख नाम है सर्वश्री संघ प्रिय गौतम, शारदा मोहन्ती, सत्य प्रकाश मालवीय जी।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): दोनों सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है।

कुमारी सरोज खापर्डे: श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी का यहां उल्लेख करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा सदन इस बात को जानता है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। श्री वायालार रवि, डॉ० बिप्लव दासगुप्ता जी यहां बैठे हुए नहीं हैं। हालांकि जैसा मैंने बताया हमारे साथी गौतम जी और मालवीय जी ये दोनों अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को सदन के सामने रखा, उसके लिए मैं उनका तहेदिल से शुक्रियादा करती हूं। चर्चा के दौरान बिप्लव दासगुप्ता ने कुछ बातें कहीं थी कि अपने हाथ के पकाये हुए भोजन

का हमें निमन्त्रण है, इस आश्वासन को हम भूल नहीं पाये हैं। मैं सोच रही थी कि वे यहां जरूर उपस्थित रहेंगे लेकिन वे आज कलकत्ता जरूर चले गये होंगे अदरवाइज उनको ये डर था कहीं ये सब लोग हमारे घर न चले आयें। वरना उनको अपने हाथों से खाना बनाकर हमें परोसने की नौबत आती।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आश्वासन जिन्हें मिला वे भूले नहीं और आश्वासन जिन्होंने दिया वे भूल गये?

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): गुप्ता जी लाइब्रेरी में बैठे हैं।

म०प० 4.00

श्रीमती सरोज खापर्डे: इस बहस में हमारे श्री वायालार रवि जी ने, अंसारी जी ने बड़ी उत्सकुता के साथ भाग लिया। इसके लिए मैं उनका भी आभार मानती हूं। चर्चा पिछले हफ्ते भी जारी रही। उनमें जिन साथियों ने भाग लिया, वे थे, श्रीमती मालती शर्मा, श्री ईश दत्त यादव, श्रीमती उर्मिला बेन पटेल, श्री एम०ए० बेबी, श्री नरेश यादव अक्सर हाउस में रहते हैं लेकिन आज वह हाउस में नहीं है, श्रीमती जयन्ती पटनायक, श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय, श्री जान एफ० फर्नांडिस, श्री राम गोपाल यादव, श्री मिरी, श्रीमती वीणा वर्मा। महोदय, जिन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया है वे हैं श्रीमती आनन्दीबेन पटेल, श्री बी०बी० दत्त और श्रीमती कमला सिन्हा, श्री पीटर अलफोन्से और श्रीमती भारती राय। महोदय, आप सभी ने अपने अमूल्य विचारों को जो यहां पर रखा उसके लिए मैं उनका आभार मानती हूं।

मान्यवर, इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य देश का और सरकार का ध्यान देश में बढ़ रही नग्नता की ओर आकर्षित करना था। इसके कारण समस्त देश वासना के दलदल में धंस रहा है और स्त्रियां, लड़कियां और यहां तक कि छोटी-छोटी बालिकायें भी बलात्कार का शिकार हो रही हैं। उनका न केवल देह शोषण हो रहा है बल्कि कुकर्म के बाद उनकी जघन्य हत्या भी की जा रही है। आज स्त्री कहीं भी अपने आपको सुरक्षित नहीं समझती। यहां तक कि वह अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कमला जी ने अपने मन से, हृदय से महिलाओं के बारे में कहा। उनको सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरे अकेले ही ऐसे विचार नहीं है। मेरी जैसी अनेक महिलायें जो इस सदन की सदस्या हैं और जो महिलायें इस सदन में नहीं है, ऐसी भी अनेक महिलायें हैं, जिनके विचार हमारे विचारों के साथ मिलते-जुलते हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा: आपका दर्द, मेरा दर्द, हम सब का दर्द एक है।

कुमारी सरोज खापर्डे: मान्यवर, मेरा अपना मानना है कि ऐसी घटनाओं के लिए इस भयानक मानसिकता के पीछे स्त्री का अशिष्ट-रूपण भी काफी हद तक जिम्मेदार है। क्योंकि पत्रिकाओं में, समाचार-पत्रों में, टेलीविजन पर, सिनेमा हाल में जिस प्रकार से स्त्री को नग्न प्रदर्शित किया जाता है या किया जा रहा है, उससे वासना का तूफान दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। खासकर, हम जिसे न्यू जनरेशन कहते हैं, नई युवा पीढ़ी कहते हैं, वह वासना के ऊफान में अंधी होकर कोई भी जघन्य कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। इस वासना के दलदल में फंसने के कारण अनेक मामलों में हम देखते हैं - सुबह उठकर अखबार के किसी भी पन्ने को खोलिए, क्या पढ़ते हैं? हम जो बात पढ़ते हैं उसका हम यहां बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन पढ़ते जरूर हैं और उसे पढ़ने के बाद लगता है कि पिता-पिता नहीं रहा, भाई-भाई नहीं रहा, चाचा, मामा, मौसा जैसे पवित्र रिश्ते इस वासना की आंधी में उड़ गए हैं।

मेरी अपनी मान्यता है कि इस सब की जड़ अगर हम देखें तो हमारी कमज़ोर होती जा रही संस्कृति के साथ-साथ स्त्री का अशिष्ट-रूपण भी ज़िम्मेदार है और इसे रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।

मान्यवर, अब यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कोई अपने शरीर को कैसे भी रखे चाहे वह उसका प्रदर्शन करे, चाहे वह अपनी शरीर को अपने पर्दे में रखे परन्तु व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब यह बिलकुल नहीं है कि कोई अपनी स्वतंत्रता की आड़ ले कर समाज में अशिष्ट-रूपण का ज़हर फैलाए। उदाहरण के लिए मैं यह कह सकती हूं कि जैसे हमें बोलने की पूरी स्वतंत्रता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि रास्ता चलने वाले को, किसी को हम कुछ गाली दे दें, अपशब्द बोलें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति तक सीमित रहनी चाहिये। यदि वह सार्वजनिक हो जाए तो फिर वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसे रह सकती है? वह जो सार्वजनिक हो चुकी है। यहां यह भी कहा जा सकता है कि स्त्री अपना अशिष्ट-रूपण स्वयं करवाती है। इसका उल्लेख, इसकी विस्तृत चर्चा, इसके बारे में विचार कमला सिन्हा जी ने अपनी बहुत अच्छे शब्दों में

सदन के सामने रखे। मैं उन सभी विचारों का आदर करती हूं और अपने आपको उनके साथ संबद्ध करती हूं। क्योंकि अशिष्ट-रूपण अगर स्त्री स्वयं नहीं करे तो जिस पैमाने पर आज उसको पैसा मिलता है, वह पैसा कैसे मिलेगा, उस पैसे के लिए स्त्री को सारा जुगाड़ करना पड़ता है। इसलिए मेरी अपना मानना है कि इस मानसिक विकृति पर, इस मानसिकता पर हमें अंकुश लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी को भी समाज में इस प्रकार का ज़हर फैलाने देने का हमने अधिकार नहीं दिया हुआ है और न यह अधिकार किसी को देना चाहिये, न किसी को यह अनुमति दी गई है और न देनी चाहिये। अतः कानून में संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, मंत्री जी कहीं आप सो तो नहीं रहे हैं (**व्यवधान**)

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया). हम जाग रहे हैं, हम सुन रहे हैं। (**व्यवधान**) आपके विचारों को सुनते सुनते गंभीर हो रहे हैं। (**व्यवधान**)

कुमारी सरोज खापर्डे: इतना भी गंभीर नहीं हो जाएं कि आपको गहरी नींद आ जाए। (**व्यवधान**) ऐसा भी नहीं होना चाहिये।

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): आपके भाषण को सुन कर मंत्रमुग्ध हो गये हैं। (**व्यवधान**)

कुमारी सरोज खापर्डे: अंत में, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि केवल कानून मात्र बनाने से हमारा काम चलने वाला नहीं है और आज हमें जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, उसका पूर्ण रूप से पालन करने की और पालन करवाने की है। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि वह अपने मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण करें जो पुलिस विभाग और अन्य विभागों के साथ तालमेल रखे तथा कानून का सख्ती से पालन करें और पालन करवाएं अन्यथा सख्त कानून के बावजूद यह ज़हर समाज में फैलता रहेगा और वासना का दानव हमारे समाज को एक दिन निगल कर ही चैन लेगा। अतः समय रहते चेतने की हमारे समाज को ज़रूरत है। मान्यवर। मंत्री जी ने इस संदर्भ में उचित कार्यवाही करने का हमें आश्वासन दिया है और मुझे पूरी आशा है कि इसे वे अवश्य पूरा करेंगे। अतः मैं अपना यह निजी विधेयक जो चर्चा के लिए सदन के सामने रखा है और जैसा कि यहां सरकार की तरफ से मंत्री जी ने निवेदन किया है अपना विधेयक वापस लेने के लिए वापस लेने की सदन से इजाजत चाहूंगी और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE STATE OF PONDICHERRY BILL, 1992

SHRI V. NARAYANASAMY (PONDICHERRY): Sir, I beg to move:

> "That that Bill to provide for the establishment of the State of Pondicherry and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to move the state of Pondicherry Bill, 1992. I had also the first opportunity in 1994 to introduce a Bill for giving reservation to *dalit* Christians. These Bills had been pending in this House, though they were in the larger interest of the backward community. Now I have got the second chance to move in this august House the Bill relating to my State, namely, the State of Pondicherry Bill, 1992. Though it is a small Union Territory, it has got its separate identity. Sir, this country had been ruled by several rulers. In South, we had Chera, Chola, Pandya and the Pondicherry was under the Pallava dynasty. Sir, when the Britishers were occupying other States, Pandicherry was under the French regime. Just like the Britishers, French businessmen came to our State. Thereafter, in a war between the Pallavas and the French, they occupied this territory and started ruling this State. Sir, it had five pockets, namely, Karaikal near Thanjavur District, Mahe Tellicherry in Kerala, Yenam, which is near Kakinada in Andhra Pradesh and there was another place like Chandranagure in West Bengal. Subsequently, we have given up that area because of geographical conditions and because we were not able to reach there and administer those territories. Sir, in 1954, there was as *de facto* transfer. Because the French rulers had occupied this area, there was a referendum in our